

राजस्व अपील संख्या 306/2023

अनवानः

हरिराम बनाम राज0 सरकार

दिनांक 10.08.2023

उक्त अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गुडामालानी, जिला बाडमेर के द्वारा पारित आदेश क्रमांक राजस्व/प्र0गांव के संग अभि/2023/456 दिनांक 06.06.2023 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। अपील के साथ स्थगन प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया हुआ होने से उपस्थित अधिवक्तागण की स्थगन प्रार्थना पत्र एवं अपील बाबत की गई बहस सुनी गई तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.06.2023 का अवलोकन किया एवं पत्रावली के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात आदि का भी अध्ययन किया तथा अपीलांत अधिवक्ता द्वारा चाही गई इस्तदुआ पर भी मनन किया।

समस्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलान्त की अपील आंशिक स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी जिला बाडमेर को निर्देशित किया जाता है कि वे तहसीलदार, गुडामालानी से उभय पक्षकारान की उपस्थिति में मौका जॉच की जाकर मौका नक्शा व मौका फर्द तलब की जावे तत्पश्चात प्रकरण का विधिवत निस्तारण करें। कोई भी पक्ष कदीमी रास्ता बन्द नहीं करे। पत्रावली फेसलशुमार होकर नंबर से कम हो। निर्णय आज खुले न्यायालय लिखाया जाकर सुनाया गया।

अति. संभागीय आयुक्त,
जोधपुर